भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड, संचार भवन
नई दिल्ली-110001.

सं.11-60/2022/टीए-I/पेंशन अदालत 8108 से 8111 दिनांक: 23 सितबंर, 2022

सेवा में,

महानियंत्रक संचार लेखा
महानियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान परिसर, घिटोरनी,
नई दिल्ली-110030

संयुक्त महानियंत्रक (बजट, लेखा व सूचना प्रौद्योगिकी के ध्यान हेतु)
महानियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान परिसर, घिटोरनी,
नई दिल्ली-110030

विषय: संचार लेखा कार्यालयों (संयुक्त महानियंत्रक बजट, लेखा ब सूचना प्रौद्योगिकी के ध्यान हेतु) **द्वारा संवाद शिविरों के माध्यम से पेंशनरों के साथ नियमित संवाद।**

संदर्भ:- (क) डीओपी एण्ड पीडब्ल्यू दिनांक 25.03.2011 के का.ज्ञा. सं. 44013/2/2010-समन्वय
(ख) डीओटी दिनांक 29.09.2011 के पत्र सं. 11-602009/टीए-I/2226
(ग) आपका दिनांक 10.06.2019 के पत्र सं. सीजीसीए/बीएएंडआईटी/तिमाही पेंशन अदालत/168/2019/490

सभी संचार लेखा कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से तिमाही पेंशन अदालत आयोजित की जा रही है। इसके अलावा इस संबंध में डीओपी एंड पीडब्ल्यू द्वारा जारी दिशानिर्देशों का दूरसंचार में कार्यरत क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा भी काफी हद तक पालन किया जा रहा है। हालांकि कुछ इकाइयों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में यह पाया गया है कि कुछ मामले अभी भी कुछ दिनों तक लंबित रह जाते हैं। सदस्य (वित्त) ने अपेक्षा की है कि संचार लेखा कार्यालय 'शून्य लंबित मामले' (सतर्कता/कानूनी मामलों को छोड़कर) की स्थिति सतत अर्जित करने का प्रयास करें। यद्यपि हाल ही में एक विशेष अभियान के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल कर ली गई थी, तथापि यह अपेक्षित है कि यह उपलब्धि हमारी सेवाओं की सतत पहचान (पेरिनियल हॉलमार्क) बने।

2. कुछ इकाइयों ने अपने मुख्यालयों में प्रत्यक्ष रूप (फिजिकल मोड) में पेंशन शिविरों/पेंशन संवाद शिविर आयोजित करने की पहल की है। अन्य इकाइयों ने इस संवाद को अनेक स्थानों में आयोजित किया है। कई अन्य ने पेंशनभोगियों के साथ ई-संवाद भी किए हैं। एतदतिरिक्त भी अनेक नई पहलें कई कार्यालयों द्वारा की गई हैं। इन प्रयासों के बेहतर परिणाम हासिल हुए हैं और पेंशनरों में संतुष्टि का स्तर काफी बढ़ा है।

3. तदनुसार यह उचित होगा कि त्रैमासिक सामान्य पेंशन अदालत आयोजित करने के अलावा सभी संचार लेखा कार्यालय अपने-अपने कार्यक्षेत्र में मुख्यालय से बाहर कार्यक्षेत्र में पेंशनरों के साथ माह में एकाधिक पेंशन शिविर नियमित रूप में व्यक्तिगत संपर्क के रूप में प्रत्यक्षत: आयोजित करें। इन कार्यक्रमों का इस्तेमाल क्रमश: पेंशन कार्ड पंजीकरण/ जारी करने, 'अपने पेंशनर को जाने' (केवाईपी), अपडेट करने, जीवन प्रमाणपत्र, सीजीएचएस/योग केन्द्रों की मदद से स्वास्थ्य चर्चा एवं संचार लेखा कार्यालयों की दूसरी नई पहलों के लिए भी किया जा सकता है। महानियंत्रक संचार लेखा कार्यालय इस प्रकार के पेंशन शिविरों के लिए और पेंशनरों से जुड़े अन्य क्रियाकलापों के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) परिचालित करने पर भी विचार कर सकता है। इसे विधिवत प्रचारित, (सोशल मीडिया सहित) किया जाना चाहिए और इस प्रकार के प्रयासों को संदर्भ और रिकार्ड हेतु प्रलेखित (डोक्यूमेंट) किया जाना चाहिए।

शैलेन्द्र कुमार मिश्र

शैलेन्द्र कुमार मिश्र
सलाहकार (वित्त)

सचिव दूरसंचार के प्रधान निजी सचिव
सदस्य वित्त के प्रधान निजी सचिव